ORDER SHEET

THE COURT

MJCR 205 / 2024

AIMKA/1017/2024
12-7-24

जितेन्द्र
वि.
प्रेमलाल

of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12.07.2024	आज इस न्यायालय के मूल प्रकरण कमांक 09/2022 जितेन्द वि0 प्रेमलाल आरोपी/अनावेदक प्रेमसिह उक्त मूल प्रकरण में दिनांक 03.05.2024 को अनुपस्थित हो जाने पर गिरफ्तारी वारंट से तलब किये जाने का आदेश दिया गया है। अब मूल प्रकरण में आरोपी के उपस्थित होने पर आरोपी को धारा 491 बी.एन.एस.एस. के तहत नोटिस दिया गया कि क्यों न उसकी मुचलका राशि 2000/– रूपये राजसात की जावे। प्रकरण का पंजीयन विविध आपराधिक पंजी में किया जावे। आरोपी स्वयं उपस्थित। प्रकरण आरोपी/अनावेदक के जबाब व तर्क हेतु कुछ समय बाद पेश हो। **(सुश्री निकिता पवार)** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ जिला–देवास (म.प्र.) पुनश्च परीवादी द्वारा सुमित चौरसीया अधि0। आरोपी/अनावेदक प्रेमपाल सहित श्री लुनिया अधिवक्ता उपस्थित। आरोपी/अनावेदक प्रेमाहपालसिह की ओर से धारा 491 बी.एन.एस.एस. के नोटिस का लिखित जबाब पेश न करते हुए कथन लेखबद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।	प्रेमपाल [signature]

अतः अभियुक्त के कथन लेखबद्ध किये गये।

जबाब के समर्थन में आरोपी/अनावेदक अजयसिंह ने स्वयं का कथन भी किया। अन्य कोइ साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य पेश न करना व्यक्त किया।

मुचलका जप्ती बाबत आरोपी/अनावेदक व उसके अधिवक्ता को सुना एवं उसके द्वारा प्रस्तुत जबाब, कथन एवं मूल अभिलेख का परीशीलन किया।

आरोपी/अनावेदक मूल प्रकरण कमांक 09/2022 में दिनांक 03.05.2024 से लगातार अनुपस्थित है जबाब व कथन में उसकी ओर से अनुपस्थिति का कारण मजदूरी करने इंदौर गया था बताया है। प्रकरण में अनुपस्थिति का यह कतई उचित कारण नहीं माना जा सकता, परंतु उसक आर्थिक स्थिति कमजोर होना बताई गई है तथा अब उसकी प्रकरण में उपस्थिति सुनिश्चित हो चुकी है, जिसे देखते हुये उसकी संपूर्ण मुचलका राशि 10,000./— रूपये राजसात करना उचित प्रतीत न होने से पूर्व मुचलका राशि में से 2,000/— रूपये राजसात किये जाते है, शेष राशि माफ की जाती है।

राजसात राशि जमा करने के उपरांत यह विविध प्रकरण परिणाम परिणामे दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।

(सुश्री निकिता पवार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सोनकच्छ जिला—देवास (म.प्र.)

पुनश्च

उक्त आदेश के पालन में आरोपी/अनावेदक अजयसिंह की ओर से मुचलका जप्ती की राशि.2,000./— रूपये रसीद कमांक .... बुक कमांक .... पर जमा की गई।

प्रकरण अभिलेखागार प्रेषित हो।

(निकिता पवार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सोनकच्छ जिला देवास (म.प्र.)

CPB—558—DCGCPB—11-3-24—2,00,000.